प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.10.2024

थाना मसूरी पुलिस द्वारा योजना बनाकर लूट करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 ECM, 01 गले की चैन का टुकडा पीली धातु, 02 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस एवं 02 अवैध चाकू, पेचकस, रिंच, पौना, चाबी व अर्टिगा कार बरामद।

दिनांक 20.10.2024 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा चौकी क्षेत्र जेल से लूट की योजना बनाते हुए 06 लूटेरों 1.नासिर पुत्र कुर्बान निवासी मुगल गार्डन ढोलक वाली मस्जिद के पास पिपलेडा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र करीब 21 वर्ष 2. जैद उर्फ साहिल पुत्र इमरान निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 3. कैफ उर्फ अंशुल पुत्र मन्साद निवासी मोमराज की चक्की के पास कस्बा मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 4. मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी गंगापुरम थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष 5. शहनवाज उर्फ सादाब पुत्र कय्यूम निवासी मयूर विहार थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 6. पकंज पुत्र ब्रजलाल निवासी रजनी बिहार पिलखुवा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से चोरी व लूट का सामान,चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार व अवैध असलहा बरामद हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पकडे गये गैंग का लीडर बिलाल पुत्र हनीफ निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद व अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी गंगापुरम थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद हैं बिलाल के ऊपर पूर्व में लगभग 01 दर्जन अभियोग पजीकृत हैं एवं मन्नू यादव मूल रुप से जनपद एटा का निवासी है जो पिछले कई वर्षों से जनपद गाजियाबाद में रह रहा है एंव ट्रेवल्स का कार्य करता है तथा बिलाल को पिछले 06 माह से जानता है व परिचित है दोनों मिलकर अपने गैंग के साथ चोरी व लूट की घटनाऐं करते हैं लूट व चोरी की घटना कारित करने के लिये गाड़ी व ड्राइवर मन्नू यादव उपलब्ध कराता है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम सब लोग एक साथ योजना बनाकर हाइवे पर व रास्तों पर गाड़ी से रैकी करके सूनसान जगह व अंधेरे में खड़ी गाड़ीयों से चोरी व लूट की घटनायें करते हैं बिलाल के ऊपर पहले से कई मुकदमें हैं तथा वह कई बार जेल जा चुका है आज से करीब तीन महीने पूर्व हम चारों ने मिलकर मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर खड़ी एक कार से पर्स व चैन लूट की घटना की थी उसके सभी पैसे हम चारों ने आपस में बाँट लिये थे वो सभी खर्च हो गये इसके अलावा दिनांक 17.10.2024 को रात्रि में हम सभी व हमारे साथी बिलाल के साथ मिलकर इसी अर्टिगा गाड़ी से हाइवे पर रैकी करके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर खड़ी एक डीसीएम से उसका एसीएम व बैट्री चोरी कर ले गये थे। घटना करते समय हम लोगों को डराने धमकाने के लिये चाकू व तमंचा भी रखते हैं व गाड़ी के पार्ट खोलकर चोरी व लूट करने के लिये अपने पास रिंच व पेचकस आदि रखते हैं। ये घटना करने के बाद जो पैसे आदि मिलते हैं उनमें से आधे पैसे मन्नू व बिलाल अपने पास रखते हैं व आधे पैसों में से हम सभी को बाँट कर दे देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1.नासिर पुत्र कुर्बान नि0 मुगल गार्डन ढोलक वाली मस्जिद के पास पिपलेडा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र करीब 21 वर्ष।

2.जैद उर्फ साहिल पुत्र इमरान नि0 ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
3.कैफ उर्फ अंशुल पुत्र मन्साद नि0 मोमराज की चक्की के पास कस्बा मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
4.मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी गंगापुरम थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
5.शहनवाज उर्फ सादाब पुत्र कय्यूम निवासी मयूर विहार थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
6. पकंज पुत्र ब्रजलाल नि0 रजनी बिहार पिलखुवा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र करीब 25 वर्ष।

फरार अभियुक्त का नाम व पता -

1.बिलाल पुत्र हनीफ निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

(1) 01 ECM
(2) 01 गले की चैन का टुकडा पीली धातु
(3) 02 तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
(4) 02 चाकू
(5) एक मारूती अर्टिगा कार
(6) पेचकस, रिंच , पौना व चाबी आदि

आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त नासिर के विरुद्ध थाना धौलाना जनपद हापुड़ में गौकशी व अवैध तमंचा रखने के 02 अभियोग व थाना मंसूरी पर लूट व चोरी के 02 तथा लूट व चोरी की योजना बनाने का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त कैफ , जैद , पंकज के विरूद्ध थाना मसूरी पर लूट व चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त मन्नू यादव , शहनवाज , कैफ , जैद, व पंकज के विरुद्ध लूट की योजना बनाने के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 34 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई।

आज दिनांक 21.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त नदीम पुत्र हारून निवासी सैफी वाली कालोनी ,उस्मान गढी ,कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

नदीम पुत्र हारून नि0-सैफी वाली कालोनी ,उस्मान गढी ,कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी व लूट की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से चोरी की 03 मोटर साईकिल, 01 तमंचा व 01 कारतुस बरामद।

दिनांक 21.10.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्त 1. नौशाद 2. फरदीन 3. सलीम को कोटगांव तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया व गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग नशा करने के आदी हैं इसलिये हम मिलकर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में रोड़, बाजार व भीड़भाड़ वाले इलाक़ो में मोटर साईकिल को चोरी कर लेते है तथा उन मोटर साईकिल का प्रयोग करके राहगीरों से उनके मोबाईल छीन लेते है। दिनांक 15.10.2024 को विजयनगर रामलीला ग्रउण्ड के पास एक महिला के हाथ से भी एक मोबाईल फोन छिना था। छीने हुए मोबाईल व मोटर साईकिल को सस्ते दामों पर चलते फिरते व्यक्तियों को बेच देते है और जो पैसे मिलते है उससे अपने शौक पूरे करते हैं। आज जो हमसे मोटर साईकिल बरामद हुई है वह भी हमने चोरी की थी। जिसे हम बेचने की फिराकर में घूम रहे थे।

<u>नाम पता अभियुक्त</u>

1. नौशाद पुत्र अली हसन निवासी म0नं0 665 उमर मस्जिद के पास कैलाखेडा थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 24 वर्ष।
2. फरदीन पुत्र हारून निवासी केला खेड़ा थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 19 वर्ष।
3. सलीम पुत्र नूर ईलाही निवासी उमर मस्जिद के पास कैला खेड़ा थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 48 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर DL3SEC3702
2. मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर UP23E1762
3. मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर DL4SDA8885
4. 01 तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस 315 बोर।

<u>अभियुक्त का अपराध इतिहासः-</u>

अभियुक्त फरदीन उपरोक्त पर - 22 अभियोग लूट/चोरी/आर्मस एक्ट कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पर पंजीकृत है ।

अभियुक्त नौसाद उपरोक्त पर - 03 अभियोग लूट/चोरी कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पर पंजीकृत है ।

अभियुक्त सलीम उपरोक्त पर - 02 अभियोग कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पर पंजीकृत है ।

<u>गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली टीमः</u>-

थाना विजयनगर पुलिस टीम